जिला वार्षिक योजना वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित बजट प्रावधानों का सैक्टरवार आवंटन

राज्य सरकार के निर्देशानुसार विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण के तौर पर 20 विषयों पर जिला वार्षिक योजना का निर्माण किया गया है। इस प्रकार **टोंक** जिले की वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना में राज्य आयोजना मद में **47221.24** लाख रूपये एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में **15717.18** लाख रूपये इस प्रकार कुल **62938.42** लाख रूपये की राशि का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। इसका सेक्टरवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	सेक्टर	राज्य आयोजना मद में प्रस्तावित राशि (लाख रू.)	केन्द्र प्रवर्तित मद में प्रस्तावित राशि (लाख रू.)	कुल योग (लाख रू)
1	कृषि विभाग	961.88	91.48	1053.36
2	उद्यान विभाग	392.40	537.12	929.52
3	1. पशुपालन विभाग	629.51	50.96	680.47
	2. मत्स्य विभाग	15.15	0.60	15.75
4	ऊर्जा विभाग	5140.23	0.00	5140.23
5	जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग	5874.57	1727.51	7602.08
6	शिक्षा	8950.45	1981.84	10932.29
7	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	3143.29	5413.45	8556.74
8	ग्रामीण विकास विभाग	1470.35	4046.81	5517.16
9	उद्योग विभाग	56.95	0.00	56.95
10	ग्रामीण सड़क (सार्व.नि.विभाग)	6246.06	0.00	6246.06
11	महिला एवं बाल विकास विभाग	1318.18	0.00	1318.18
12	नगर निकाय विभाग	369.85	102.00	471.85
13	वन विभाग	352.76	0.00	352.76
14	रसद विभाग	747.44	0.00	747.44
15	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2792.26	538.53	3330.79
16	पंचायती राज विभाग	6879.47	0.00	6879.47
17	भू सरंक्षण	107.43	0.00	107.43
18	मिड डे मील	338.56	1226.88	1565.44
19	राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन	268.92	0.00	268.92
20	जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग	1165.53	0.00	1165.53
	योग	**47221.24**	**15717.18**	**62938.42**

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप जिला वार्षिक योजना 2014–15 हेतु प्राप्त बजट सीलिंग से सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनसे वित्तीय बजट सीमा के विरूद्ध भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण कराया जाकर वार्षिक योजना में शामिल किया गया है। जिसका सेक्टवार विवरण निम्नानुसार है –

वार्षिक योजना 2014–15 के प्रस्तावित आंवटन

District Tonk

Draft Annual District Plan 2014-15 : Proposed outlay

Rs. In Lacs.

S.No.	Name of Scheme/Work	State Plan				C.S.S.				Grant Total			
		Gen.	TSP	SCSP	Total	Gen.	TSP	SCSP	Total	Gen.	TSP	SCSP	Total
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कृषि विभाग	792.90	84.15	84.83	961.88	72.40	8.01	11.07	91.48	865.30	92.16	95.90	1053.36
2	उद्यान विभाग	258.35	58.59	75.46	392.40	359.76	78.80	98.56	537.12	618.11	137.39	174.02	929.52
3	भू संरक्षण	73.81	14.50	19.12	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	14.50	19.12	107.43
4	पशुपालन विभाग	523.97	0.00	105.54	629.51	50.96	0.00	0.00	50.96	574.93	0.00	105.54	680.47
	मत्स्य विभाग	15.11	0.00	0.04	15.15	0.48	0.00	0.12	0.60	15.59	0.00	0.16	15.75
	Total	539.08	0.00	105.58	644.66	51.44	0.00	0.12	51.56	590.52	0.00	105.70	696.22
5	ऊर्जा विभाग	2327.05	1124.95	1688.23	5140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2327.05	1124.95	1688.23	5140.23
6	जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग	4005.45	1058.01	811.11	5874.57	1214.06	296.44	217.01	1727.51	5219.51	1354.45	1028.12	7602.08
7	प्रारम्भिक शिक्षा	4505.42	775.38	1022.77	6303.57	81.64	16.84	21.59	120.07	4587.06	792.22	1044.36	6423.64
	माध्यमिक शिक्षा	1676.31	302.60	422.67	2401.58	1065.01	192.25	268.54	1525.80	2741.32	494.85	691.21	3927.38
	साक्षरता	86.86	7.68	15.03	109.57	134.37	23.04	45.09	202.50	221.23	30.72	60.12	312.07
	संस्कृत शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण	29.63	0.00	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63	0.00	0.00	29.63
	तकनीकी शिक्षा पोलिटेकनिक	106.10	0.00	0.00	106.10	105.52	8.93	19.02	133.47	211.62	8.93	19.02	239.57
	Total	6404.32	1085.66	1460.47	8950.45	1386.54	241.06	354.24	1981.84	7790.86	1326.72	1814.71	10932.29
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1753.71	58.00	314.26	2125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1753.71	58.00	314.26	2125.97
	परिवार कल्याण	30.70	0.50	2.00	33.20	1083.32	0.00	0.00	1083.32	1114.02	0.50	2.00	1116.52

	एन.आर.एच.एम.	676.09	132.86	175.17	984.12	2974.80	584.57	770.76	4330.13	3650.89	717.43	945.93	5314.25
	Total	2460.50	191.36	491.43	3143.29	4058.12	584.57	770.76	5413.45	6518.62	775.93	1262.19	8556.74
9	ग्रामीण विकास विभाग	1011.70	171.98	286.67	1470.35	3028.26	116.80	901.75	4046.81	4039.96	288.78	1188.42	5517.16
	मिड डे मील	202.35	53.40	82.81	338.56	779.78	178.00	269.10	1226.88	982.13	231.40	351.91	1565.44
	जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग	0.00	1165.53	0.00	1165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1165.53	0.00	1165.53
	Total	1214.05	1390.91	369.48	2974.44	3808.04	294.80	1170.85	5273.69	5022.09	1685.71	1540.33	8248.13
10	पंचायतीराज विभाग	4611.94	933.91	1333.62	6879.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4611.94	933.91	1333.62	6879.47
11	उद्योग विभाग	39.15	6.70	11.10	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39.15	6.70	11.10	56.95
12	ग्रामीण सड़क (सार्व.नि. विभाग)	3483.17	1522.41	1240.48	6246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3483.17	1522.41	1240.48	6246.06
13	महिला एवं बाल विकास विभाग, पोषण	636.34	41.01	468.39	1145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	636.34	41.01	468.39	1145.74
	महिला एवं बाल विकास विभाग WDP	128.05	0.00	44.39	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	128.05	0.00	44.39	172.44
	Total	764.39	41.01	512.78	1318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	764.39	41.01	512.78	1318.18
14	स्थानीय निकाय	254.09	49.93	65.83	369.85	70.07	13.77	18.16	102.00	324.16	63.70	83.99	471.85
15	वन विभाग	332.76	0.00	20.00	352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	332.76	0.00	20.00	352.76
16	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1751.75	453.32	587.19	2792.26	105.00	150.89	282.64	538.53	1856.75	604.21	869.83	3330.79
17	रसद विभाग	508.26	104.64	134.54	747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	508.26	104.64	134.54	747.44
18	भू. जल विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	राज.कौशल एवं आजीविका मिशन	187.60	35.13	46.19	268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	187.60	35.13	46.19	268.92
Total		**30008.62**	**8155.18**	**9057.44**	**47221.24**	**11125.43**	**1668.34**	**2923.41**	**15717.18**	**41134.05**	**9823.52**	**11980.85**	**62938.42**

विभागवार योजना/कार्यक्रमवार विवरण

1. **कृषि विभाग :–** टोंक जिला कृषि उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिलों में शामिल नही है। फिर भी गत वर्षो में कृषि विभाग द्वारा किये गये प्रयासो के कारण कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई है। कृषि विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2014–15 के लिए जिला वार्षिक योजना में कुल 1053.36 लाख रूपये की बजट सीमा निर्धारित की गई है। जिसमें 961.88 लाख रूपये राज्य आयोजना मद में एवं 91.48 लाख रूपये केन्द्र प्रवृतित योजना मद में प्रस्तावित किये गये है।

राज्य योजना, आईसोपॉम, कार्य योजना एवं आरकेवीवाई योजना मद में निम्न प्रकार कार्यक्रम प्रस्तावित है : –

1. पौध संरक्षण अनुभाग – जिले में पौध संरक्षण अनुभाग अन्तर्गत 286 समन्वित कीट प्रबन्ध प्रदर्शन, 185 पौ.सं. उपकरण वितरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसके अन्तर्गत इस वर्ष राज्य योजना मद में 6.60 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है।
2. जल प्रबन्धन – सिंचाई जल के समुचित उपयोग एवं प्रबन्धन हेतु वर्ष 2014–15 में 315 किलोमीटर सिंचाई पाईप लाईन पर विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। जिसके अन्तर्गत इस वर्ष 2014–15 हेतु योजना मद में 88.07 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
3. कृषि अभियांत्रिकी – जिले में इस योजना में अनुदान पर बैंल/शक्ति चलित उन्नत कृषि यत्र, ट्रेक्टर व थ्रेसर इत्यादि उपलब्ध कराये जाते है जिसके अनतर्गत 460 कृषि यंत्र हेतु वर्ष 2014–15 में राज्य मद में 7.21 लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है।
4. भूमि सुधार – जिले में उसर भूमि सुधार, तिलहनी व दलहनी फसलों की गुणवत्ता बढाने हेतु 3480 में. टन जिप्सम अनुदान पर उपलब्ध कराया जावेगा जिसे लिए वर्ष 2014–15 हेतु राज्य योजना मद में 6.96 लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है।
5. समन्वित पौषक तत्व प्रबन्धन – रासायनिक उर्वरको के लगातार असंतुलित उपयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति पर पड रहे प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु एवं निरन्तर मंहगे होते जा रहे रासायनिक उर्वरको के विकल्प के रूप में सस्ते जीवाणु खाद (बायो फर्टीलाइजर) को अनुदानित दरों पर कृषको को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भूमि की सजीवता, जैव विविधता एवं जल की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु तथा पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना दीर्घकाल टिकाऊ एवं स्थिर उत्पादन प्राप्त करने हेतु जैविक खेती की तकनीक का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले में 2014–15 हेतु 15700 हैक्ट, क्षैत्र में जीवाणु खाद वितरण, जैविक खेती व सूक्ष्म पौषक तत्व प्रदर्शन आयोजन हेतु राज्य योजना मद में 34.26 लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है।
6. विस्तार एवं प्रशिक्षण – कृषकों एवं कृषि विस्तार कर्मचारियों की तकनीकी ज्ञान वृद्धि हेतु प्रशिक्षण एक आवश्यक अवयव है। इस हेतु विभाग द्वारा गुणवत्ता पूर्वक, उद्देश्यपरक एवं प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। जिसमें एक दिवसीय महिला/पुरूष कृषक प्रशिक्षण, दो दिवसीय संस्थागत कृषक प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यकर्ताओं/विक्रेता/ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रशिक्षण आदि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशालाऐं शामिल

है। जिले में इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण/प्रदर्शनो व प्रचार प्रसार गतिविधियों हेतु वर्ष 2014–15 हेतु राज्य मद में 20.79 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है।

7. प्रचार प्रसार कार्यक्रम – कृषकों में उन्नत कृषि तकनीकी का प्रचार प्रसार, नवाचारो के प्रति जागरूकता तथा सफल कृषको के अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रो व संचार विविधाओं एवं उपकरणो का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत रेडियो कृषि शिक्षा कार्यक्रम, किसान दिवस, गोष्ठियां, खेती री बातां कार्यक्रम का प्रसारण, खेती री बातां समाचार पत्र आदि का प्रकाशन किया जाता है। विभाग द्वारा विशेष प्रचार प्रसार का कार्यक्रम वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इसके विभाग द्वारा विभिन्न कृषक मित्रवत साहित्य भी मुद्रित करवाया जाता है। प्रचार प्रसार गतिविधियों हेतु वर्ष 2014–15 हेतु राज्य मद में 6.78 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है।
8. योजना मद में नवीन किसमों के प्रदर्शन आयोजन हेतु सभी फसलों के 9460 हैक्ट में भौतिक, 262.42 लाख का वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रदर्शन के माध्यम से कृषको का नवीनतम तकनीक के साथ कृषि आदान अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
9. जिले में वर्षा जल को संरक्षित करने एवं पुनः सिंचाई हेतु फसलो में उपयोग करने हेतु फॉर्म पौण्ड निर्माण पर 60000 रूपये का 33अनुदान के प्रावधान के मध्य नजर 780 के भौतिक एवं 467.21 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
10. अन्य मद – इस के अन्तर्गत विभागीय कम्प्यूटर रखरखाव हेतु 1.5 लाख रूपये का बजट प्रावधान वर्ष 2013–14 में राज्य योजना मद में प्रस्तावित है। इसके साथ ही राज्य योजना में प्रयोगशाला सुदृढीकरण मद हेतु 4.00 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है।
11. योजनान्तर्गत जेन्डर बजट प्लान को ध्यान में रखते हुऐ 30 प्रतिशत लक्ष्य महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का रखा गया है। कुल लाभान्वित कृषकों में महिला कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जावेगा।

2. **उद्यान विभाग** :– टोंक जिले को राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित किया गया है। जिले में उद्यानिकी विकास की प्रबल संभावनाऐ है। वर्ष 2014–15 के लिए राज्य योजना मद अन्तर्गत 392.40 लाख रूपये एवं केन्द्र प्रवृतित योजना मद अन्तर्गत 537.12 लाख कुल 929.52 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। विभाग द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित बजट मद अन्तर्गत विभाग की विभिन्न गतिविधियों हेतु निम्नानुसार भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुये है।

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन – इस कार्यक्रम अन्तर्गत 250 हैक्टर बगीचों के रख रखाव पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
2. फूलों की खेतीः– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.00 हैक्टर में फूलो की खेती से लघु कृषकों का लाभान्वित किया जाना तथा 6.00 हैक्टर में सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
3. 130 हैक्टर में मसाले के बगीचों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
4. जल स्त्रोत निर्माण – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 एकल जल स्त्रोत एवं 25 सामुदायिक जल स्त्रोतों की स्थापना के भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित है।

5. संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत 2 हजार वर्ग मी. में शेडनेट, 4 हजार वर्ग मीटर में सब्जी हेतु पौध सामग्री पोली हाऊस तथा 1200 वर्ग मीटर में फूलो हेतु पौध सामग्री पोली हाऊस का भैतिक लक्ष्य रखा गया है।
6. वर्मी कम्पोस्ट स्थापना :– इस कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित बजट सीमा के विरूद्ध 15 वर्मी कम्पोस्ट की स्थापना तथा 30 एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड ईकाई की स्थापना का लक्ष्य विभाग द्वारा प्रस्तावित है।
7. उद्यानिकी में यंत्रीकरण :– इस प्रस्तावित कार्यक्रम अन्तर्गत 5 शक्तिचालित मशीन, 1 मशीन 20बीएचपी तक तथा 10 शक्तिशाली संचालित मशीने 20बीएचपी से अधिक क्षमता की उपलब्ध कराने का भौतिक लक्ष्य विभाग द्वारा प्रस्तावित है।
8. मानव संसाधन विकास :– इस कार्यक्रम के तहत 100 कृषक जिले में एवं 100 कृषकों राज्य स्तर पर प्रशिक्षित कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
9. राष्ट्रीय सुक्ष्म सिचांई मिशन :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित बजट सीमा में 480 हैक्टर में ड्रीप सिचाई तथा 300 हैक्टर में फव्वारा सिचाई पद्धति की स्थापना का लक्ष्य विभाग द्वारा प्रस्तावित है।
10. राष्ट्रीय ओषधीय पादप मिशन के अन्तर्गत 06 हैक्टर में ग्वार पाठा रोपण किया जाना प्रस्तावित है।
11. राज्य योजना – राज्य योजना मद के अन्तर्गत 12 हैक्टर में नये बागों की स्थापना, 180 सब्जी प्रर्दशन, 100 हैक्टर में पौध सरक्षंण उपचार अनुदान का लक्ष्य प्रस्तावित है।

3. पशुपालन विभाग :–

3.1 पशु गणना 2007 के अनुसार जिले में 1207014 लाख पशुओं की संख्या है। पशु धन विकास हेतु वर्ष 2014–15 में कुल 680.47 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। जिसमे राज्य योजना मद अन्तर्गत 629.51 व केन्द्र प्रवृतित योजना मद अन्तर्गत 50.96 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। उपरोक्त प्रस्तावित बजट अन्तर्गत विभाग द्वारा निम्नानुसार भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित किये गये है।

1. पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु 2 पशु चिकित्सालयों की एवं पशु पालिक्लिनिक भवनो के निर्माण का भौतिक लक्ष्य रखा गया हैं। जिसमे क्रमशः 20.80 एवं 25 लाख रूपये व्यय करने का प्रावधान हैं।
2. एस्केड :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.57 लाख रूपये जागरूकता शिविरों का आयोजन, प्रचार प्रसार एवं साज सामान आदि पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
3. रिंडर पेस्ट :– रोग के कार्य हेतु विभाग द्वारा 0.49 लाख रूपये का प्रावधान सर्वे कराना एवं परिवहन व्यय आदि पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
4. पशु चिकित्सालय (अनुसूचित जाति के लिए) राज्य योजना में प्रस्तावति 139.04 लाख रूपये निम्न प्रकार व्यय किये जावेगे। – 1. बाझ निवारण 15 शिविर 3.60 लाख 2. अनुसूचित जाति के पशुपालको को विभागीय गतिविधियों की जानकारी हेतु 6 दिवसीय पशुपालक 18 शिविर हेतु 8.10 लाख रूपये 3. रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बकरी यूनिट (10+1) 90 प्रतिशत अनुदान 27.20 लाख रूपये 4. विविध व्यय (बछडा बछडी प्रतियोगिताएं चिकित्सा शिविर, प्रचार प्रसार एवं भ्रमण) आदि 10.00 लाख रूपये का विभाग द्वारा भौतिक लक्ष्य रखा गया है।

3.2 **मत्स्य विभाग** :– जिले में लगातार औसत वर्षो में गिरावट के कारण मत्स्य पालन की संभावना कम होती जा रही है। वर्ष 2014–15 में विभाग को कुल 15.75 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा निम्नानुसार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये है–

1. मत्स्य पालन योजना का संचालन – जिले में संचालित 10 योजनाओं के संचालन पर व्यय किये जाना प्रस्तावित है।
2. सुपरवाईजरी स्टाफ :– इस के अन्तर्गत 9.00 लाख रूपये वर्ष 2014–15 के बजट मद में प्रावधान रखा गया है।

4. **ऊर्जा विभाग** :– जिले के लिए ऊर्जा क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2014–15 के लिए 5140.23 लाख रूपये की बजट सीमा निर्धारित की गई है। उक्त राशि राज्य योजना मद में प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत सब ट्रासमिशन नोरमल आरई वर्क्स तथा R-APDRP PART A and B कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय किये जाना प्रस्तावित है।

5. **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग** :– वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु राज्य योजना मद अन्तर्गत 5874.57 लाख रूपये एवं केन्द्र प्रवृतित योजना अन्तर्गत 1727.51 लाख रूपये कुल 7602.08 लाख का प्रावधान रखा गया है। जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र अन्तर्गत राज्य योजना मद में 2405.10 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु राज्य आयोजना मद में 3469.46 लाख व केन्द्र प्रवृतित मद अन्तर्गत 1727.51 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

6. **शिक्षा विभाग** :– जिले के लिए वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना के लिए शिक्षा संबंधित गतिविधियों के लिए कुल 10932.29 लाख रूपये बजट प्रावधान किया गया है। जिसमे राज्य आयोजना मद में 8950.45 लाख रूपये एवं केन्द्र प्रवृतित योजना मद में 1981.84 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम/योजनानुसार विवरण निम्नानुसार है –

प्रारम्भिक शिक्षा :– इस कार्यक्रम में राज्य योजना मद में 6303.57 लाख रूपये एवं केन्द्र प्रवृतित योजना मद में 120.07 लाख इस प्रकार कुल 6423.64 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

1. RTE के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण :– इस उप मद अन्तर्गत राज्य योजना मद में 342.53 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत निजी विद्यालयों को प्रथम कक्षा में 25 प्रतिशत बच्चों का निःशुल्क प्रवेश दिये जाने एवं दुर्बल/शिक्षा से वंचित बच्चों को निजी विद्यालयों में एक किलोमीटर की परिधि में बच्चों को प्रवेश हेतु राजकीय विद्यालयों में एक छात्र पर जितना व्यय किया जाता है उतनी राशि पूनर्भरण पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
2. साक्षरता :– इस उप मद अन्तर्गत राज्य योजना मद में 109.57 लाख एवं केन्द्र प्रवृर्तित योजना मद में 202.50 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण सारक्षता अभियान के अतिंम चरण में की जाने वाली गतिविधियों पर व्यय किये जाना प्रस्तावित है।

3. तकनीकी शिक्षा :– तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण हेतु इस उप मद हेतु 29.63 लाख रूपये राज्य योजना मद में रखा गया है एवं तकनीकी शिक्षा पोलिटेकनिक हेतु इस उप मद हेतु 106. 10 लाख रूपये राज्य योजना मद में तथा केन्द्र प्रवृर्तित योजना मद में 133.47 लाख रूपयें व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

7. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु 8556.74 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें से राज्य योजना मद में 3143.29 लाख एवं केन्द्र प्रवृतित मद 5413.45 लाख का प्रावधान है। विभाग द्वारा उक्त बजट के विरूद्ध निम्नानुसार भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित किये गये है –

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम :– के अन्तर्गत 1116.52 लाख का बजट प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा बी.पी.एल. महिलाओं को लाभान्वित करने एवं विभाग में कार्यरत चिकित्सकों एवं ए.एन.एम. तथा अन्य स्टाफ को वेतन भत्ते भुगतान का प्रावधान किया गया है।
2. एन.आर.एच.एम. :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु कुल 5314.25 लाख का बजट प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य संबंधी समस्त व्यय किये जाना जाना प्रस्तावित है।
3. मुख्य मंत्री बीमा रक्षा कोष :– इस कार्यक्रम अन्तर्गत 113.95 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। एससी, एसटी एवं बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित करने में किया जाना प्रस्तावित है।
4. 108 एम्बूलेस :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु राज्य योजना मद 145.03 लाख का बजट प्रावधान किया है। जिसमें विभाग द्वारा एम्बूलेस के संचालन पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

8. **ग्रामीण विकास** :– वार्षिक योजना वर्ष 2014–15 के लिए जिले में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कुल 5517.16 लाख का बजट मद में प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत राज्य योजना मद में 1470.35 लाख एवं केन्द्र प्रवृतित मद में 4046.81 लाख का बजट प्रावधान है।

1. महानरेगा :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना मद में 299.65 लाख एवं केन्द्र प्रवृतित मद में 3352.65 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसमें विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 26.00 लाख मानव दिवस का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।
2. इन्दिरा आवास :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना मद में 107.45 लाख एवं केन्द्र प्रवृतित योजना मद में 322.36 लाख का बजट प्रावधान है। जिसके के अन्तर्गत 7594 बीपीएल परिवारों को आवास निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
3. विधायक क्षेत्रीय विकास कोष. :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना मद में 800.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत विधायकों की अनुशंसा पर विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

4. स्वविवेक :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना मद में 12.09 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।
5. जी.जे.वी.वाई :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना मद में 125.35 लाख का प्रावधान किया गया है।
6. टाडा :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने हेतु राज्य योजना मद में 1165.53 लाख का प्रावधान किया गया है।
7. मिड.डे.मील :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना मद में वर्ष 2014–15 हेतु 338.56 लाख एवं केन्द्र प्रवृतित योजना मद में 1226.88 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाने का प्रावधान है।

9. **उद्योग विभाग** :– टोंक जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जिले की वार्षिक योजना 2014–15 में 56.95 लाख रूपये का प्रावधान राज्य योजना मद में बजट प्रस्तावित किया गया है। जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा गृहउद्योग योजना में 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना एवं 75 व्यक्तियों का स्वास्थ्य बीमा ह्यूमन रिसोर्स कार्यक्रम अन्तर्गत 35 व्यक्तियों को लाभान्वित करना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 20 तथा 210 दस्तकारों को बाजार सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया हैं।

10. **ग्रामीण सड़क (PWD)** :– जिले में सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2014–15 हेतु 6246.06 लाख का बजट प्रावधान राज्य योजना मद में किया गया है। जिसके अन्तर्गत नवीन सड़को का निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

11. **महिला एवं बाल विकास विभाग** :– जिला वार्षिक योजना 2014–15 हेतु महिला एवं बाल विकास के लिए राज्य योजना में 1318.18 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।
1. पूरक पोषाहार कार्यक्रम :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना मद में वर्ष 2014–15 हेतु 1145.74 लाख रूपये का प्रावधान किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत 80000 बच्चों, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित करने, 40 नवींन आंगनबाडी भवन निर्माण एवं 30 आगंनबाडी भवन मरम्मत तथा 1472 सहयोगनियों का मानदेय भुगतान का लक्ष्य रखा गया है।
2. महिला विकास कार्यक्रम :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना मद में वर्ष 2014–15 हेतु 172.44 लाख का कुल बजट प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा 231 साथिन चयन, 7 स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण एवं दो स्वालम्बन योजना तथा 3 धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र अन्तर्गत व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

12. **नगरीय विकास** :– वार्षिक योजना वर्ष 2014–15 के लिए नगरीय विकास हेतु जिले को 471.85 लाख रूपये की बजट सीमा प्राप्त हुई है। जिसके अन्तर्गत राज्य योजना मद में 369.85 लाख रूपये तथा केन्द्र प्रवृतित योजना मद में 102.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

13. **वन विभाग** :— वार्षिक योजना वर्ष 2014—15 के लिए जिले में वन विकास हेतु कुल 352.76 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है। जिसके अन्तर्गत 13वे वित्त आयोग की सिफारिश अन्तर्गत खनन प्रभावित वन क्षेत्रों में 2700 आरएमटी पक्की दिवार कार्य, फार्म वन विद्या अन्तर्गत नवींन पौध तैयार करना, पोंध संधारण कार्य, नर्सरी का आधुनिकीकरण, 100 बाउन्ड्री पिलर निर्माण के कार्य कराये जाने के भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित है।

14. **खाद्य एवं रसद विभाग** :— वार्षिक योजना वर्ष 2014—15 के लिए इस मद में 747.44 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। जिसके तहत जिले के चयनित परिवारों को अनपूर्णा योजना आदि से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

15. **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** :— वार्षिक योजना वर्ष 2014—15 के लिए इस मद में कुल 3330.79 लाख रूपये की बजट सीमा का प्रावधान किया गया है। जिसमें से राज्य योजना मद में 2792.26 लाख एवं केन्द्र प्रवृतित योजना मद में 538.53 लाख का बजट प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत बीसी सेक्टर में राज्य सरकार के आदेशानुसार उत्तर मेट्रिक छात्रवृतियां विंकलाग छात्रवृतिया, पालनहार योजना आदि पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार समाज कल्याण सेक्टर अन्तर्गत संयुक्त सहायता सुखद जीवन बीमा योजना, विश्वास योजना, पालनहार योजना एवं पेंशन योजना पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

16. **पंचायती राज विभाग** :— जिला वार्षिक योजना वर्ष 2014—15 के लिए कुल 6879.47 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। योजना/कार्यक्रम अनुसार विवरण निम्नानुसार है —
    1. राज्य वित्त आयोग अनुदान :— राज्य वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार आवंटित होने वाले अनुदान मद में जिले को वर्ष 2014—15 हेतु 2175.66 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।
    2. बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम :— इस कार्यक्रम में वर्ष 2014—15 हेतु 2700.36 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आधरभूत ढाचागत विकास के लिए 1387 कार्य प्रस्तावित किये गये है।
    3. निर्बन्ध राशि योजना (पंचायतीराज संस्थायें) :— वार्षिक योजना वर्ष 2014—15 में इस उप मद अन्तर्गत 1726.54 लाख रूपयें का बजट प्रावधान रखा गया है। जिसके अन्तर्गत जिले की समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को जनसंख्या के अनुपात में राशि का वितरण किया जाना है। जिससे आवश्यकता आधारित आधारभूत विकास कार्य कराये जाते है।
    4. Grants to PRI under budget head 3604 :— वार्षिक योजना वर्ष 2014—15 में इस उप मद अन्तर्गत 246.92 लाख रूपयें का बजट प्रावधान रखा गया है।
    5. Nirmal Bhart Abhiyan (Total Sanitation) :— वार्षिक योजना वर्ष 2014—15 में इस उप मद अन्तर्गत राज्य योजना में 29.99 लाख रूपयें का बजट प्रावधान किया गया हैं।

17. **भू.सरक्षण विभाग** :— वार्षिक योजना वर्ष 2014—15 के लिए इस मद में राज्य योजना के अन्तर्गत कुल 107.43 लाख रूपये की बजट सीमा का प्रावधान किया गया है।